

02-18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी अनुपस्थित।
 वकील वादी एवं वादी को न्यायालय समय में बार-बार
 आवाजे लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के
 अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 पत्रावली में प्रतिवादी सं० १५ की मृत्यु की सूचना दिनांक ०५/०३/१५
 को आई है परन्तु बार-बार अक्सर व हिदायत के बावजूद
 प्रतिवादी सं० १५ के कायम मुकामान को पशुकार बनाने
 सम्बन्धी कोई कार्यवाही वकील वादी द्वारा नहीं की गई
 है। साथ ही बार-बार अक्सर व हिदायत के बावजूद
 वकील वादी प्रतिवादी सं० 5, 16, 18 के सही पते के
 सम्मन ललकना भी पेश नहीं कर रहे हैं। इस दौरान
 वकील वादी को अन्तिम अवसर दो बार दिया गया है
 तथा अन्तिम हिदायत, फिर एक अवसर एवं आखिरी
 में दिनांक 16-01-18 को न्यायालय में भी एक अवसर
 और दिया गया था परन्तु आज भी उपस्थित नहीं हुए
 हैं जिससे यह जाहिर होता है कि दावा की कार्यवाही
 जारी रखने में उनकी कोई रुचि नहीं है। अतः दावा
 वादी अदम-दाजरी, अदम पैरवी एवं रुचि के
 अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
 निष्पत्ति खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
 फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाहलादा विल
 दस्तर है।